वित्त निर्देश 18/2011

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मई, 2011

मांक 825/एल-6-6/2010/वित्त/ब-4/चार,

ते,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

षय:- नई सेवा/सेवा का नया साधन-निर्धारित वित्तीय सीमाओं में संशोधन ।

दर्भ:-
1. वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक 216/चार/ब-1/95, दिनांक 10 मार्च, 1995
2. वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक 793/चार/ब-1/96, दिनांक 05 जून, 1996
3. वित्त विभाग के ज्ञापन क.1128/1480/चार/ब-1/98, दिनांक 19 अगस्त, 1998

व्यय के किसी वर्ग को विशिष्ट रूप से विधानसभा की जानकारी में लायें ना खर्च नही किया जावेगा, जब तक कि उसकी पूर्ति अकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर ी जाना प्रस्तावित न की गई हो । किसी व्यय को नई सेवा या सेवा के नये साधन के प में अर्थात् व्यय की नई मद के रूप में माने जाने के लिए इस विभाग के संदर्भित ापनों द्वारा वित्तीय सीमायें निर्धारित की गयी थी । उक्त ज्ञापनों में अंकित सीमाओं को धिक्रमित करते हुए राज्य शासन, छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्राक्कलन समिति के अनुमोदन , नवीन वित्तीय सीमाएं और मापदण्ड निम्नानुसार निर्धारित करता है :-

स्थापना

वे प्रस्ताव जिनमें वित्तीय व्यय ` 50.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो,

टिप्पणी:- किसी विभागाध्यक्ष-स्थापना अथवा विभागाध्यक्ष न होने की स्थिति में शासन संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा किसी विशिष्ट बजट शीर्ष से किये जाने वाले व्यय के बंध में ऊपर उल्लेखित सीमा एक पूरे वर्ष में नवीन स्वीकृत स्थापना पर होने वाले संचयी यय पर लागू होगी ।